राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4039 / 2022

नितिन कुमार गर्ग

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, राज.,जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, अलवर।
6. डॉ. प्रीति मीणा, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) जिला चिकित्सालय, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.10.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जिला चिकित्सालय, अलवर से सीएचसी, बर्डोद, अलवर में किया गया है। उनका तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 13.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को पदस्थापित किया गया था, जिस कारण से अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2457 / 2022 प्रस्तुत की थी, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 03.08.2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। अब पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा कर दिया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की अपील के लम्बित रहते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण

नहीं किया जा सकता है एवं अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत है।

3. उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक व नियम विरूद्ध किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
5. पूर्व में अपीलार्थी के द्वारा इस अधिकरण में अपील संख्या 2457/2022 प्रस्तुत की गयी थी। उस समय अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश पारित नहीं हुआ था केवल मात्र अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को लगाया गया था, जिस कारण से अधिकरण ने स्थगन आदेश पारित किया था एवं स्थगन आदेश दिनांक 03.08.2022 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिये स्वतंत्र है तथा ऐसे स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश बाधक नहीं रहेगा। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता दी गयी थी। ऐसे में वर्तमान में अपीलार्थी का जो स्थानान्तरण किया गया है, उसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय, अलवर से 4 वर्ष बाद स्थानान्तरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को समुचित समय पदस्थापित रखने के पश्चात् स्थानान्तरित किया गया है। ऐसा कोई आधार अपीलार्थी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। आलोच्य आदेश में कोई अवैधता प्रकट नहीं होती है न ही आलोच्य आदेश दुर्भावनापूर्वक जारी किया जाना प्रकट है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
7. आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)